कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in
eicpwduk@nic.in

E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 251/09 अधि0प्राप्ति/2017 देहरादून, दिनांक 15 मार्च, 2017

: परिपत्र :

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन वर्तमान में क्लास 'बी' लोडिंग के 630 नं0 सेतु एवं 27 नं0 बैली ब्रिज निर्मित हैं। गत वर्षो में विभाग के मार्गो की चोड़ाई व राईडिंग क्वालिटी अच्छी होने एवं प्रदेश में खनन कार्य बढ़ने से मार्गो में अधिक भार क्षमता के वाहनों के यातायात में वृद्दि होने के कारण, क्लास 'बी' लोडिंग के अनुसार निर्मित सेतुओं में निर्धारित क्षमता से अधिक भार के वाहन गुजर रहे हैं जिससे सेतुओं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ रही है तथा विभाग की छवि धूमिल हो रही है। विगत दो–तीन माह मे क्लास 'बी' लोडिंग के दो सेतु कोटद्वार एवं बेरीनाग स्थलों में सेतु के भार क्षमता से अधिक वाहन गुजरने से क्षतिग्रस्त हुए है।

अतः विभाग द्वारा निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग के सेतुओं एवं उनसे गुजरने वाले वाहनों की सुरक्षा हेतु निम्नवत् आवश्यक कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये :–

1. पुल के पोर्टल के Top में पूरी चोड़ाई मे 75 सेमी ऊँचाई के Sign Board पर Retro Reflective Paint से निम्नलिखित चेतावनी लिखी जाए :

> **सावधान**
> 1. एक बार मे केवल एक ही वाहन (अधिकतम 16.5 टन भार सहित) जाये।
> 2. वाहन की गति 20 किमी प्रति घण्टा से अधिक न हो।

2. पुल के दोनों तरफ 20 मीटर पहले Rumble Strips (15 Strips @ 1m c/c) बनाई जाएँ तथा इनके दोनों तरफ Thermoplastic Paint की दो पट्टियाँ तथा Cats Eye लगाई जाएँ। साथ ही पुल की भार वहन क्षमता तथा गति सीमा के निम्न Sign Board लगाए जाएँ। Sign Board का निचला भाग मार्ग की सतह से कम से कम 2 मीटर ऊपर हो ।

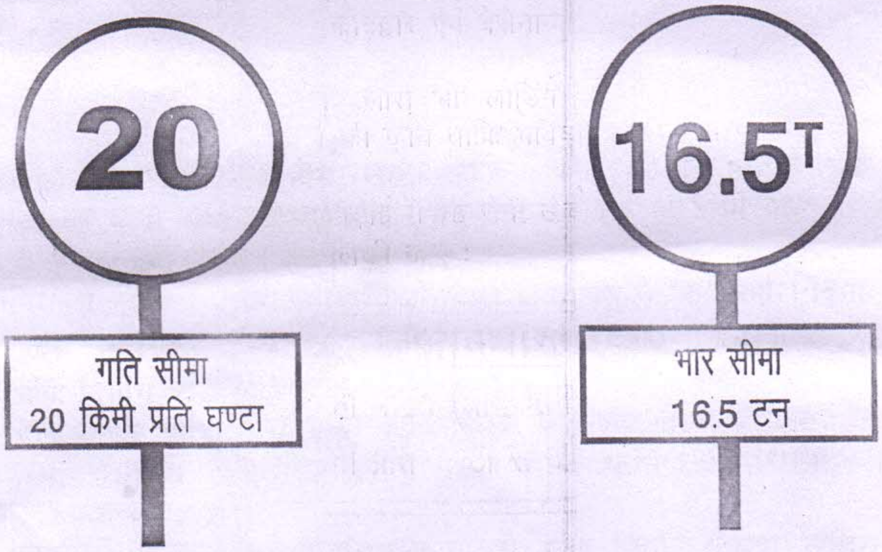

3. पुल से 200 मीटर पहले भार वहन क्षमता तथा गति सीमा के निम्न Early Warning Sign Boards (Size 90cm x 60cm) लगायें जाएँ ।

> **सावधान आगे पुल की भार क्षमता कम है।**
>
> **एक बार मे केवल एक ही वाहन (अधिकतम 16.5 टन भार सहित) जाये।**
>
> **वाहन की गति 20 किमी प्रति घण्टा से अधिक न हो।**
>
> **उल्लघन करना दंडनीय अपराध होगा तथा क्षति की वसूली की जायेगी ।**
>
> अधिशासी अभियंता
> ....खंड लो नि वि
>
> ....

4. सुनिश्चित किया जाय कि पुलों पर पार्किंग कदापि न हो।
5. सुनिश्चित किया जाए कि पुल के डेक की सतह की Riding Quality अच्छी हो तथा सतह किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो एवं इसमें Potholes भी न हो।
6. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में पुल पर उक्त से अधिक भार वाले वाहन, Over Dimensional Consignment (ODC) अथवा Over Weight Consignment(OWC) ले जाना आवश्यक हो तो इस हेतु लोक निर्माण विभाग के स्थानीय खण्ड से पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक होगी एवं अनुमति दिए जाने से पूर्व खण्ड द्वारा पुल को आवश्यक्तानुसार अस्थाई अथवा स्थाई रूप से Strengthen/ Rehabilitate करवाया जाना होगा तथा इस पर हुए व्यय की लागत, सम्बन्धित वाहन स्वामी /एजेन्सी से ली जाएगी।
7. वाहन स्वामियों /एजेन्सियों द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन न किए जाने पर तथा इस कारण पुल के क्षतिग्रस्त होने पर वाहन स्वामी/एजेन्सी के विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी तथा क्षतिपूर्ति वसूल ली जाय ।
8. इन पुलो से संबन्धित अन्य कार्यवाही हेतु इस कार्यालय से पारित पत्र संख्या 171/09 सा0 प्र0/ 16 दिनांक 08–02–2017 का संदर्भ लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिशित करे।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि पर्वतीय मार्गो पर ओवरलोडिंग व अन्य अनियमितता रोकने हेतु प्रशासन एवं परिवहन विभाग को अपने स्तर से चेकिंग व कड़ी कार्यवाही हेतु लिखने का कष्ट करे ।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–।/।।, (सिविल/रा0मा0/ADB/UEAP/USRIP/UDRP/ PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।/।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/ ADB/UEAP/USRIP/UDRP/ PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त तकनीकी अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/ ADB/UEAP/USRIP/UDRP/ PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु।
9. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
10. गार्ड फाईल।

14/3/17

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
(प्रकीर्ण वर्ग)

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–260 / 165 सा0प्रा0 / 2017 दिनांकः /8 / मार्च / 2017

शुद्वि –पत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 251 / 09 अधि0प्राप्ति / 2017 दिनाँक 15 / 03 / 2017 द्वारा Class B लोडिंग सेतुओं पर भार क्षमता से सम्बन्धित Sign Boards लगाए जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के Sign Boards पर भार सीमा त्रुटिवश 16.5 टन अंकित हो गया है। अतः इसे 16.5 टन के स्थान पर 16.2 टन पढ़ा जाय।

उक्त परिपत्र में उल्लिखित शेष निर्देश यथावत् रहेगें।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त परिपत्र दिनाँक 15.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–I (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय , लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II (सिविल / रा0मा0 / ADB / UEAP / USRIP / UDRP / PMGSY),लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर – I / II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल / रा0मा0 / ADB / UEAP / USRIP / UDRP / PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त तकनीकी अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल / रा0मा0 / ADB / UEAP / USRIP / UDRP / PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु।
9. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
10. गार्ड फाइल।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग